(8)

क्रम-संख्या—34

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 फरवरी, 2010

माघ 13, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग—1

संख्या—239(2) / 80—1—2010—600(287) / 81

लखनऊ, 2 फरवरी, 2010

अधिसूचना

प०आ०—51

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—25, सन् 1964) की धारा 25—क और 26 "भ" के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन) विनियमावली 2010

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2010 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

7

2. In the Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Committees (Centralised) Service Regulations,1984 in regulation-6 for sub-regulation (1) set out in Column-1 the sub-regulation as set out in Column.2 below shall be *substituted* namely:- Amendment of Regulation-6

COLUMN-1 *Existing Sub-regulation*	COLUMN-2 *Amended Sub-regulation*
6 (1) The strength of the service and of each category of posts there and the scales of pay shall be such as may be determined by the Board from time to time.	6. (1) The strength of the service and of each category of posts there and the scales of pay shall be such as may be determined by the Board from time to time. Provided that scales of pay shall be such as may be recommended from time to time by the Pay Commission and approved by the State Government.

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 1047 राजपत्र (हि०)–(2194)–2010–597+50–(कम्प्यूटर / ट्रे० / आफसेट)।

(6)

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या..654 /80–1–2010–600(1)/91

लखनऊ दिनॉक 04 जून, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25 सन् 1964) की धारा 25–क और 26–श के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परि सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है:–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (षष्टम संशोधन) विनियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (षष्टम संशोधन) विनियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम–7 का संशोधन — 2– उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–7 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया ग विनियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम		
7– सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ–2 में निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में निर्धारित अर्हताएं और/या अनुभव रखता हो– **सारिणी**			7– सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ–2 में निर्धारित अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में निर्धारित अर्हताए और/या अनुभव रखता हो–		
पद का नाम	**अनिवार्य अर्हता**	**अधिमानी अर्हता**	**पद का नाम**	**अनिवार्य अर्हता**	**अधिमानी अर्हता**
1	2	3	1	2	3
1–सचिव श्रेणी–तीन ग्रेड–तीन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबन्ध संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।	1–सचिव श्रेणी–तीन ग्रेड–दो	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/ कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(5)

2. सचिव श्रेणी–दो	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।	2–सचिव श्रेणी–दो	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
3. (एक) मण्डी पर्यवेक्षक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य. पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक।	–	3–(एक) मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी–दो	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक।	–
(दो) अमीन/ नीलामकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	कृषि विपणन कार्य का अनुभव।	(दो) अमीन/ नीलामकर्ता	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	कृषि विपणन कार्य का अनुभव।
(तीन) लिपिक एवं टंकक/ रोकडिया एवं लिपिक/ लेखालिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	(तीन) लिपिक सह टंकक/रोकडिया सह लिपिक/लेखा लिपिक	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

(1)

संख्या– 654 (1)/80–1–2010तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित दिनांक 04-6-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के ख प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।

2– निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 3789/80-01-2006-60(207)/01

लखनऊ दिनाँक 06 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25 सन् 1964) की धारा–25–क और 26–न के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम–7 का संशोधन 2– उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम		
7– सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ–2 में निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में निर्धारित अर्हताएं और/या अनुभव रखता हो:			7– सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ–2 में विहित अर्हताएं रखनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में विहित अर्हताएं और/या अनुभव रखता हो:		
पद का नाम	अनिवार्य अर्हता	अधिमानी अर्हता	पद का नाम	अनिवार्य अर्हता	अधिमानी अर्हता
1	2	3	1	2	3
1–सचिव श्रेणी–तीन ग्रेड–तीन	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टर मीडिएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा उसके समकक्ष उपाधि।	1– सचिव श्रेणी–तीन ग्रेड–तीन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातक उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(सत्येन्द्र सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
आयुक्त एवं निदेशक
मण्डी परिषद, उ0 प्र0

	अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।				
2. सचिव श्रेणी–दो	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।	2. सचिव श्रेणी–दो	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा।
3–(एक) मण्डी पर्यवेक्षक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए [illegible]		3–(एक) मण्डी पर्यवेक्षक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि।	

	से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि। तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक।			तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक।	
(दो) अमीन/नीलामकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	कृषि विपणन कार्य का अनुभव।	(दो) अमीन/नीलामकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	कृषि विपणन कार्य का अनुभव।
(तीन) लिपिक एवं टंकक/रोकड़िया एवं लिपिक/लेखा लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	(तीन) लिपिक एवं टंकक/रोकड़िया एवं लिपिक/लेखा लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
4. (एक) मण्डी सहायक (कामदार)	हाई स्कूल उत्तीर्ण	मण्डी समिति या किसी कृषि मण्डी संगठन में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	4. (एक) मण्डी सहायक (कामदार)	हाई स्कूल उत्तीर्ण	मण्डी समिति या किसी कृषि मण्डी संगठन में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।
(दो) चपरासी	कक्षा पाँच उत्तीर्ण		(दो) चपरासी	कक्षा पाँच उत्तीर्ण	
(तीन) चौकीदार	तदैव		(तीन) चौकीदार	तदैव	
(चार) मण्डी अनिरक्षक	तदैव		(चार) मण्डी अनिरक्षक	तदैव	
(पाँच) सुरक्षा गार्ड	हाई स्कूल उत्तीर्ण		(पाँच) सुरक्षा गार्ड	हाई स्कूल उत्तीर्ण	

(छ:) वाटर मैन	कक्षा पाँच उत्तीर्ण		(छ:) वाटर मैन	कक्षा पाँच उत्तीर्ण	
(सात) माली	तदैव		(सात) माली	तदैव	
(आठ) पम्प आपरेटर/ विद्युतकार	हाई स्कूल उत्तीर्ण		(आठ) पम्प आपरेटर/ विद्युतकार	हाई स्कूल उत्तीर्ण	
(नौ) लाइनमैन	तदैव		(नौ) लाइनमैन	तदैव	
(दस) विद्युतकार	तदैव		(दस) विद्युतकार	तदैव	
(ग्यारह) ड्राइवर	तदैव		(ग्यारह) चालक	तदैव	
(बारह) मिस्त्री	कक्षा पाँच उत्तीर्ण		(बारह) मिस्त्री	कक्षा पाँच उत्तीर्ण	
(तेरह) सफाईकार	तदैव		(तेरह) सफाईकार	तदैव	

आज्ञा से

(एस0ए0ए0 रिज़वी)
सचिव,